प्रपत्र (ग)–1

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर परिषदाज्ञा संख्या 54–ओ/रा0व0पि0–का–1–59ए/1981 दिनाँक 27.04.84 धनराशि प्राप्त करने का यह आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या जहाँ कोई नाम ( ) न हो, अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा।

सेवा में,

1. सचिव
   उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट
   शक्ति भवन विस्तार
   14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....के भविष्य निधि खाते में उनकी मृत्यु माह दिनाँक .....के पूर्ववर्ती तीन वर्षो मे जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :–

(1) परिषद कर्मचारी का नाम .....
(2) जन्म का दिनाँक .....
(3) परिषद की सेवा प्रारम्भ करने की दिनाँक .....
(4) वह पद जिस पर परिषदीय कर्मचारी मृत्यु के पूर्व सेवारत था .....
(5) क्या मृत्यु की तिथि को कर्मचारी ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी.....
(6) मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में औसत जमा और उपरोक्त परिषदाज्ञा में निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुए प्रार्थी दोनों धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं..... .....
(7) नगर पालिका के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में, यदि उपलब्ध हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्नक संख्या .....
(8) मृत्यु का दिनाँक .....
(9) अभिदाता को प्रदिष्ट ( ) भविष्य निधि लेखे की संख्या ई0बी0/.....
(10) अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु की माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत जमा भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो (रू0.....)

(11) यदि कोई नाम ( ) हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनाँक को जो नामिनों ( ) का ब्योरा :–

क्र0सं0	नामित का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित का हिस्सा
1.			
2.			
3.			
4.			

(12) उस दशा में परिवार का ब्योरा जब कि नामन ( ) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो।

(13) यदि कोई नामन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनाँक पर परिवार के उत्तर जीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाये। यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत्य् पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनाँक पर जीवित था।

क्र0सं0	नामित का नाम	अभिदाता के सम्बन्ध	मृत्यु के दि0 पर आयु
1.			
2.			
3.			

(14) उक्त दशा में जब कि अवयस्क पुत्र/पुत्री को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, यदि धनराशि देय हो तो दावे का भुगतान यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बंधपत्र या अभिभावक का प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाना चाहिये।

(15) यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामन ( ) न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है इसका समर्थन सप्रमाण–पत्रों ( ) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिये।

क्र0सं0	नामित का नाम	अभिदाता के सम्बन्ध	नामित का हिस्सा
1.			
2.			
3.			

(16) दावेदार (दावेदारों) का धर्म .....

(17) भुगतान .....के कार्यालय के जरिये .....चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सेवारत गजटेड (राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित) निम्नलिखित लेख संलग्न है।

(1) अभिदाता के वैयक्तिक चिन्ह
(2) बाये/दायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारी की दशा में)
(3) नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियां (साक्षर दावेदारों की दशा में)।

स्थान.....
दिनाँक.....

भवदीय.....

(दावेदार के हस्ताक्षर) ,

(कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के प्रयोग के लिए)

1. सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कि ऊपर दिये गए ब्योरे का विधिवत् सत्यापन कर लिया गया है।
2. श्री/श्रीमती.....के भविष्य निधि लेखे की संख्या वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गई है।
3. उसकी मृत्यु दिनाँक.....को हुई। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गया मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया गया है। इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है।
   यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो।
4. उसके.....महीने (सेवाकाल का अंतिम मास लिखा जाना चाहिए के वेतन से, जो इस कार्यालय के देयक बिल संख्या.....दिनाँक.....के द्वारा निकाला गया, अभिदान की अंतिम कटौती.....रू0 (..... की गयी, जिसका.....कार्यालय का नकदी प्रमाण का कैश वाउचर संख्या कटौती की धनराशि.....रूपये थी और अग्रिम धन की वापसी की वसूली.....रू0 थी।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनाँक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनो में न तो उसे कोई अग्रिम धन स्वीकृत किया था और न उसे उसके भविष्य निधि लेखे से अंतिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी थी।

   या

   प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनाँक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम तथा/अथवा अंतिम निष्कासन के रूप में धनराशियां निकालने लिए स्वीकृत की गयी थी और वे निकाल ली गई थी :–

क0सं0	अग्रिम/अन्तिम निष्कासन	निकाली जाने वाली धनराशियाँ	चुकता किये जाने का (इनकैशमेंट) दिनाँक और स्थान	प्रमाणक संख्या
1.				
2.				
3.				

(6) प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान हेतु उसकी मृत्यु के दिनाँक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसके भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाल गयी थी/निम्नलिखित धनराशि निकाली गयी थी :

क0सं0	पालिसी संख्या और कम्पनी का नाम	धनराशि	दिनाँक	प्रमाणक संख्या
1.				
2.				
3.				

(7) प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय सरकार को कोई मांग नहीं है। निम्नलिखित मांगे है।

कार्यालय/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
एवं मोहर